

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिनांक 23 दिसंबर, 2020 को प्रातः 11.00 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त संलग्न हैं।

निम्नलिखित उपस्थित थे:

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री अनुराग जैन

सदस्य

1. श्री विजय कुमार सिंह
वित्त सदस्य, दिविप्रा
2. श्री शैलेंद्र शर्मा
अभियंता सदस्य, दिविप्रा
3. श्री कामरान रिजवी
अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
4. श्रीमती अर्चना अग्रवाल
सदस्य सचिव, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड
5. श्री विजेंदर गुप्ता, विधायक
6. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
7. श्री दिलीप कुमार पाण्डे, विधायक
8. श्री ओ पी शर्मा, विधायक
9. श्री योगेश कुमार वर्मा
निगम पार्षद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

10.श्री श्याम सुंदर अग्रवाल
निगम पार्षद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

सचिव

श्री डी. सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दिविप्रा

विशेष आमंत्रितगण

1. श्रीमती रेणू शर्मा
अपर मुख्य सचिव (यूडी), जीएनसीटीडी
2. श्री मनीष कुमार गुप्ता
सदस्य (प्रशा. एवं भूमि प्रबंधन), दि.वि.प्रा.
3. डॉ. राजीव कुमार तिवारी
प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भू-दृश्य, आवास एवं उद्यान), दि.वि.प्रा.
4. श्री जेपी अग्रवाल
सचिव (एल एण्ड वी), जीएनसीटीडी
5. श्री ज्ञानेश भारती
आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम

उपराज्यपाल सचिवालय

1. श्रीमती अंकिता मिश्रा बुंदेला
सचिव, उपराज्यपाल
2. श्रीमती तन्वी गर्ग
विशेष सचिव, उपराज्यपाल
3. श्री शिंदे दीपक अर्जुन
विशेष सचिव, उपराज्यपाल

4. श्री अनूप ठाकुर

निजी सचिव, उपराज्यपाल

I. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने श्री श्याम सुंदर अग्रवाल, निगम पार्षद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम का स्वागत किया, जिन्हें हाल ही में निगम द्वारा प्राधिकरण के सदस्य के रूप में चुने गए थे।

II. माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितगणों एवं वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

मद सं. 57/2020

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 09.10.2020 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एफ.2(6)2020/ एमसी / डी.डी.ए

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 09.10.2020 को आयोजित बैठक के यथा परिचालित कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या.58/2020

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 29.09.2020 एवं 09.10.2020 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।

एफ.2(6)2020/ एमसी / डी.डी.ए/ पार्ट

प्राधिकरण के सदस्यों ने प्राधिकरण को दिनांक 29.09.2020 और 09.10.2020 को आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

श्री विजेंद्र गुप्ता

1. बदरपुर ट्रेडर्स यूनियन को आवंटित की गई भूमि के पट्टे के समापन के संबंध में, साइट का निरीक्षण किया जाए और अगली बैठक में प्राधिकरण को विवरणों से अवगत करवाया जाए।

2. दि.वि.प्रा. को अपने सामुदायिक केंद्रों को विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे इनका बेहतर रख-रखाव भी हो जाएगा।
3. स्लम और जे.जे. क्लस्टरों के पुनर्विकास की स्थिति रिपोर्ट भी प्रदान की जाए।
4. उन्होंने जानना चाहा कि क्या दि.वि.प्रा. अपने हरित क्षेत्रों के रखरखाव हेतु एसटीपी जल प्राप्त करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ कार्रवाई कर रहा है।
5. दि.वि.प्रा. की उन सभी परियोजनाओं के लिए समय सीमा तैयार होनी चाहिए, जिन्हें पूरा किया जाना है। साइट पर कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उचित निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए।
6. अपनी संपत्ति को फ्रीहोल्ड में परिवर्तन कराने के लिए जनता को उनके देय के बारे में पता लगाने के लिए सक्षम बनाने हेतु ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया जाए। कन्वर्जन मामलों के बैकलॉग को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाए।

श्री सोमनाथ भारती

1. बदरपुर ट्रेडर्स यूनियन को आवंटित की गई भूमि के पट्टे के समापन संबंधी मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जाए।
2. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा आवंटित भूमि की पहचान के लिए संयुक्त रूप से साइट निरीक्षण आयोजित किए जाएं।
3. उन्होंने जानना चाहा कि क्या दि.वि.प्रा. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रक विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स., को एमएलएएलएडी फण्ड से गुलमोहर पार्क में समुदाय कक्ष के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।
4. दि.वि.प्रा. द्वारा सामुदायिक भवनों से संबंधित प्रस्तावित मसौदा, प्राधिकरण के सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जाए। कॉलोनी के निवासियों द्वारा समुदाय भवनों की बुकिंग की दरें अन्य के लिए लागू दरों से कम होनी चाहिए।

5. पार्कों के रखरखाव के लिए मसौदा एमओपी की प्रति उन्हें भेजी जाए। दि.वि.प्रा. को रोज गार्डन में नालों के जल की सफाई और हौज खास जिला पार्क में आवारा कुत्तों के लिए एक पृथक घेरा बनाने पर विचार करना चाहिए।
6. समुदाय केंद्र तक पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) बनाने के लिए कुम्हार बस्ती की झुग्गियों को पुनः अवस्थित किया जाए।
7. अधचिनी में बारात घर तक जाने वाले पहुंच मार्ग पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाए। एसटीएफ द्वारा मामले पर विचार किया जा सकता है।
8. दि.वि.प्रा. को स्थगन आदेश को रद्द करवाने हेतु प्रयास करने चाहिए और बेगमपुर में संख्या 110 में अनधिकृत निर्माण को ढहाना चाहिए। वर्तमान में, यथास्थिति को बनाए नहीं रखा गया है और साइट पर निर्माण कार्य चल रहा है।
9. एसडीएमसी द्वारा अर्जुन नगर में अतिक्रमण को हटाने के लिए समयसीमा निर्धारित की जानी चाहिए, जिससे दिविप्रा की 2.84 एकड़ उपलब्ध भूमि पर कुछ जन सुविधाओं का विकास किया जा सके।
10. गौतम नगर में 4 एकड़ की दि.वि.प्रा. भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है।

श्री ओपी शर्मा

1. विश्वास नगर में 60 फीट मार्गाधिकार पर अनधिकृत अतिक्रमण को हटाए जाने संबंधी एटीआर उससे अलग है, जिस पर पहले विचार विमर्श किया गया था। प्रस्तावित सड़क के एक ओर स्थित अनधिकृत निर्माण को सड़क के लिए भूमि प्रदान करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। चूंकि भूमि दि.वि.प्रा. से संबंधित है, अतः यदि आवश्यक हो तो दूसरी तरफ शिवम एंक्लेव की कुछ भूमि को सड़क हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। अध्यक्ष, आरडब्ल्यूए, शिवम एंक्लेव का बयान कि प्रस्तावित सड़क को जोड़ना व्यवहार्य नहीं है, यह सही नहीं है।
2. शांतिस्वरूप भटनागर मार्ग पर जेजे क्लस्टरों के पुनः अवस्थापन के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
3. भूमि आवंटन के नियम और शर्तों के उल्लंघन के लिए प्रीत विहार क्लब और ग्रेट गैट्सबाई क्लब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

4. बदरपुर ट्रेडर्स यूनियन को आवंटित की गई भूमि के पट्टे के समापन के संबंध में, दिविप्रा ने प्राधिकरण को सूचित किए बिना कोर्ट में केस दायर किया है, जबकि इस मामले को प्राधिकरण की बैठकों में उठाया जा चुका है। इस मामले की किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की जानी चाहिए।

श्री योगेश कुमार वर्मा

1. समुदाय भवनों के बुकिंग के प्रभारों को कम करने संबंधी दिविप्रा की प्रारूप नीति में उन विवाह स्थलों के प्रभारों को कम करना भी शामिल होना चाहिए, जो दिविप्रा द्वारा उंची दरों के कारण अनुपयोग में हैं।
2. अशोक विहार में दिविप्रा के पार्कों में दिल्ली जल बोर्ड के मरम्मत के कार्यों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। वे जल बोर्ड का कार्य खत्म होने के पश्चात पार्क के विकास के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहते हैं।

मद संख्या.59/2020

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सीजोओ परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली में सीआईएसएफ के लिए कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु आवंटित 0.66 एकड़ भूमि के भूमि उपयोग का आंशिक “व्यावसायिक (स्थानीय बाजार केंद्र)” एवं आंशिक “मनोरंजनात्मक (समीपवर्ती खेल केंद्र/हरित क्षेत्र)” से सरकारी (सरकारी कार्यालय) में प्रस्तावित परिवर्तन।

एफ.20(04)2019/एमपी

एजेंडा मद में अंतर्निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इस मामले को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 ए के अंतर्गत अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए।

मद संख्या 60

राज्य भवन/राज्य अतिथि ग्रहों के लिए पार्किंग नियमों में छूट।

एफ.20(09)/2015/एमपी

एजेंडा मद में अंतर्निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इस मामले को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11ए के अंतर्गत अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए।

मद संख्या 61

एमसीडी समुदाय भवन, न्यू जाफराबाद, सड़क संख्या 65, के समीप स्थित 1006 वर्ग मीटर भूमि पर तकनीकी पार्क (अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के भूमि उपयोग का 'आवासीय' से उपयोगिता (यू 4- ठोस अपशिष्ट)' में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव।

एफ.4(6)2002/एमपी

एजेंडा मद में अंतर्निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11ए के अंतर्गत आपत्तियां / सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

मद संख्या 62

पारगमन उन्मुख विकास परियोजना के लिए त्रिलोकपुरी संजय लेक स्थित 102571.990 (लगभग) वर्गमीटर भूमि में से दि.वि.प्रा. की 88193.03 वर्गमीटर माप (लगभग) की भूमि के भूमि उपयोग का 'व्यावसायिक' से 'आवासीय' में परिवर्तन।

एफ.20(9)2016-एमपी/

एजेंडा मद में अंतर्निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11ए के अंतर्गत आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

मद संख्या 63

आवासीय योजना 2021 (ऑनलाइन योजना) का आरंभ
एफ/1/0078/2020/सीओआरडी/हाउसिंग (कोआर्डिनेशन)

एजेंडा में अंतर्निहित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 64

गीता कॉलोनी में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्लॉटों के अनधिकृत व्यवसायों के नियमतीकरण के लिए भूमि दरों का निर्धारण।

एफ.एस/2(21)86/ओएसबी/पार्ट IV

एजेंडा में अंतर्निहित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 65

प्राधिकरण द्वारा मद संख्या 53/2017 द्वारा व्यावसायिक प्लॉटों के लिए निर्धारित प्रविधि/नीति में स्पष्टीकरण/संशोधन

एफ.एलडी/सीएल/0016/2020/मिस./एफ.100-कामर्शियल लैंड

एजेंडा में अंतर्निहित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 66

ई-नीलामी द्वारा जीएच प्लॉटों के निपटान का प्रस्ताव और तदन्तर मास्टर प्लान के अनुसार 15% अतिरिक्त एफएआर का लाभ प्राप्त करते हुए निर्मित किए गए ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के निपटान की प्रविधि, जो दि.वि.प्रा. के पास मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार आएगा।

एफ.एलडी/जीएच/0005/2020/एफ 1(मिस.)जीएच-II

एजेंडा मद में अंतर्निहित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण ने यह भी पाया कि दि.वि.प्रा. को दि.वि.प्रा. की नीतियों को ध्यान में रखते हुए विकासकर्ताओं द्वारा भेजे जाने वाले फ्लैटों की कीमतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने सुझाव दिया कि भूमि घटकों की गणना बोली के अनुसार प्रतिवर्ग मीटर भूमि के औसत मूल्य का 50 प्रतिशत X फ्लैट का एफ.ए.आर. क्षेत्रफल X 100/एमपीएफ के अनुसार की जाए। यहां पर पीडीआर के निर्धारण हेतु दि.वि.प्रा. पॉलिसी के अनुसार 50% एवं एमपीएफ अधिकतम अनुमेय एफएआर है, जो समूह आवास प्लॉटों के लिए दिल्ली मुख्य योजना के अनुसार 230 है, जिसमें ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए 30 एफएआर शामिल है। जहां तक निर्माण लागत का संबंध है वह आबंटन के समय प्रचलित लागत सूची के द्वारा बढ़ाई गई अंतिम उपलब्ध सीपीडी-पीएआर के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

एजेंडा में अंतर्निहित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 67

उन संपत्तियों के मामले में आरक्षित कीमत का पुनः निर्धारण जहां, पूर्व नीलामी में सक्षम प्राधिकारी ने कथित एच 1 बोली को रद्द करने का निर्णय लिया था और पुनः नीलामी की थी। एफ.एलडी/ईएयूसी/0005/2020/मिस.

एजेंडा में अंतर्निहित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 68

दिल्ली मुख्य योजना-2021 में परिवहन अध्याय 12.0 में मेट्रो स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों टर्मिनलों के लिए तालिका 12.7 के अंतर्गत संशोधन।

एफ.21(2)/2017-एमपी/पार्ट-I

एजेंडा मद में अंतर्निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इस मामले को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 ए के अंतर्गत अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए।

मद संख्या 69

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के लिए विकास नियंत्रक मानदण्डों के संबंध में दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन।

(एफ.22(02)2019.एमपी)

एजेंडा मद में अंतर्निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इस मामले को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11ए के अंतर्गत आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

मद संख्या 70

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली 2016 एकीकृत भवन निर्माण उप - विधि (यूबीबीएल-2016) में प्रस्तावित संशोधन।

एफ.15(06)2016/एमपी/पार्ट.

यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया लेकिन प्रारूप में संशोधन किए जा सकते हैं और ये संशोधन मुख्य विधि सलाहकार के परामर्श से किए जाएं। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत दिविप्रा द्वारा अधिसूचना से पहले इस मामले को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया जाए।

मद संख्या 71

अप्रत्यक्ष दोष दायित्व के लिए दिशा-निर्देश।

एफ.8(12)2018/बिल्डिंग

यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया लेकिन प्रारूप में संशोधन किए जा सकते हैं और ये संशोधन मुख्य विधि सलाहकार के परामर्श से किए जाएं। दिविप्रा की वेबसाइट पर अप्रत्यक्ष दोष दायित्व अपलोड किया जाए।

मद संख्या 72

दिल्ली में पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) के लिए अधिसूचित नीतियों में संशोधन।

एफ.20(7)2015/एमपी/पार्ट-I

यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया लेकिन प्रारूप में संशोधन किए जा सकते हैं और ये संशोधन मुख्य विधि सलाहकार के परामर्श से किए जाएं। व्याकरणिक संशोधन और सक्रिय अग्रभाग के अंतर्गत खंड 20.6 (सी) में निम्नलिखित शामिल किए गए:

“सभी वाहनों का प्रवेश साइड स्ट्रीट से होगा। जिन साइटों पर साइट स्ट्रीट की उपलब्धता नहीं है, ऐसे मामलों में, कम से कम एक सड़क 12 मीटर अथवा इससे अधिक मार्गाधिकार का टीओडी योजना के भाग के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। ”

डीडी अधिनियम, 1957 की धारा 11ए के अंतर्गत आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाएं।

मद संख्या 73

दिल्ली में पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) के विनियम

एफ.20(7)2015/एमपी/पार्ट-I

यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया लेकिन प्रारूप में संशोधन किए जा सकते हैं और ये संशोधन मुख्य विधि सलाहकार के परामर्श से किए जाएं। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत दिविप्रा द्वारा अधिसूचना से पहले इस मामले को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया जाए।

प्राधिकरण के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए “अन्य मुद्दे”

श्री विजेन्द्र गुप्ता

1. उन्होंने जानना चाहा कि यद्यपि प्राधिकरण ने 2014 में मोटल के लिए अतिरिक्त एफएआर के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था एवं जांच एवं सुनवाई बोर्ड की बैठक हुई थी, तथापि अभी तक मामला निपटाया क्यों नहीं गया है। प्राधिकरण के समक्ष इस मामले को रखा जाए।

2. मालवीय नगर में श्मशान घाट की भूमि को नियमित किया जाए चूंकि श्मशान घाट पिछले 50 वर्षों से यहीं बना हुआ है।

सोमनाथ भारती

1. अपीजे स्कूल के मामले को मालवीय नगर श्मशान घाट समिति से डिलिंक किया जाए और भूमि को श्मशान घाट के लिए एसडीएमसी को हस्तांतरित किया जाए। दिविप्रा को भी प्राथमिकता के आधार पर अपील दायर करनी चाहिए।
2. दिविप्रा की भूमि के अतिक्रमण का जो मामला श्री अमानतुल्ला खान, माननीय विधायक द्वारा दिविप्रा के संज्ञान में लाया गया है, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

श्री ओ.पी. शर्मा

1. उनके निर्वाचन क्षेत्र में निर्मित हुए चार समाज सदनों को जन उपयोग हेतु प्रचालन में लाया जाए।
2. उन्होंने जानना चाहा कि दिविप्रा द्वारा वेलकम कॉलोनी, सीमापुरी में पुनर्वास मंत्रालय द्वारा शरणार्थियों के लिए आवंटित भूमि पर हुए निर्माणों को बिना किसी पूर्व सूचना दिए हुए क्यों ढहाया गया है। इस मामले को शीघ्र निपटाया जाए।
3. दिविप्रा ने होटलों के लिए अतिरिक्त एफएआर की अनुमति दी है। चूंकि भूमि की दरों को तर्कसंगत बनाया जा रहा है अतः होटलों के लिए अतिरिक्त एफएआर की दरों को भी अधिक युक्तिसंगत होटल दर सूची बनाने के लिए कम किया जाना चाहिए, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
4. परियोजना के समापन में कोविड-19 संबंधी विलंब हुआ है, जो कि श्रमशक्ति, सामग्री, संसाधन, इत्यादि की उपलब्धता से संबंधित मामलों के कारण हुआ है। 31.03.2021 तक परियोजनाओं के समापन के लिए समय सीमा में विस्तार, जिसे दिविप्रा द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी, इसे अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जाए।

श्री श्याम सुंदर अग्रवाल

1. जोनल प्लान के अनुसार कृष्णा नगर और सतनाम रोड पर सड़क न. 57 से रघुनाथ मंदिर, हंसराज मार्ग से कौंडली चौक तक 60 फीट चौड़ी होनी चाहिए, हालांकि अतिक्रमण के कारण इन सड़कों की वास्तविक चौड़ाई 25 से 30 फीट तक ही है। इसके कारण भारी ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं होती हैं। समुचित मार्गाधिकार (Row) प्रदान करने के लिए इन सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाए।
2. सन् 1950 में शरणार्थियों को झील खुरंजा में प्लॉट आवंटित किए गए थे। कुछ संपत्तियों में समय के साथ उप विभाजन हो चुका है। दिविप्रा को एकल उप विभाजित प्लॉटों को फ्री होल्ड में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए।
3. चार एकड़ और उससे अधिक साइज के समूह आवासीय सोसाइटी प्लॉट के लिए अतिरिक्त एफएआर के अलावा अतिरिक्त एफएआर का लाभ प्लॉट साइट को ध्यान में न रखते हुए सभी समूह आवासीय प्लॉटों को उपलब्ध करवाया जाए।
4. हालांकि घरेलू उद्योगों को अनुमति मिली हुई है, पर प्लॉट साइज के संबंध में, जिन पर ऐसी फैक्टरियों की अनुमति है, कोई नियम नहीं बनाए गए हैं इसके कारण, 25 वर्ग गज तक के प्लॉटों पर भी इन फैक्टरियों को बिना किसी निर्धारित समय के चलाया जा रहा है जो कि यहां के निवासियों के लिए एक परेशानी का सबब है।
5. हालांकि एसटीएफ का गठन हो चुका है, फिर भी अनधिकृत निर्माण कम नहीं हुए हैं, और संबंधित फील्ड कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

माननीय उप राज्यपाल महोदय ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितगणों और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन दिया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।